विलोपित दस रुपये TEN RUPEES | पाँच रुपये FIVE RUPEES

(87)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रं. /03 पुनरीक्षण

रामप्रसाद सिंह पुत्र स्व.इन्द्राज सिंह
निवासी ग्राम शाहपुर तहसील मऊगंज
जिला रीवा (म.प्र.)

..आवेदक

विरुद्ध

1. एतवारी चमार पुत्र बग्गण चमार
2. छोटे चमार पुत्र बग्गण चमार
3. मटई चमार पुत्र बग्गण चमार
निवासीगण ग्राम दूबी तहसील मऊगंज
जिला रीवा (म.प्र.)
4. म.प्र. शासन द्वारा कलैक्टर, रीवा

..अनावेदकगण

न्यायालय कमिश्नर रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/अ-19/90-91 में पारित आदेश दिनांक 13.5.03 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य
===================

1. यह कि, आवेदक द्वारा ग्राम दूबी तहसील मऊगंज की विवादित भूमि सर्वे नं. 131/1 रकबा 4.50 एकड़, 133 रकबा 0.22 एकड़, 136 रकबा 0.76 ए. एवं 134 रकबा 5.86 ए.कुल किता 4 कुल रकबा 11.34 ए. भूमियों के व्यवस्थापन हेतु आवेदक ने जागीर उन्मूलन की धारा 28 के अंतर्गत तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर से प्रकरण क्रमांक 23/अ-19/65-66 पंजीबद्ध

क्र...2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 824–दो/2003 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–9–16	आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। अनावेदक क्र0 1 से 3 की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। अनावेदक क्र0 4 की ओर से शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 19/अ–19/1990–91 में पारित आदेश दिनांक 13.05.03 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 3/ प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये । आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि बिना वर्ष 1965 तथा 1980 के तहसील न्यायालय के प्रकरण को मंगाये तथा अवलोकन किये प्रकरण का निकराकरण नहीं किया जावे। तर्क में यह भी कहा गया कि वर्ष 1965 का आदेश अभी तक यथावत नहीं की गई है । वर्ष 1980 का आदेश मात्र इत्यलाबी दर्ज करने का था । अपर कलेक्टर रीवा ने आवेदक को बिना सुने आदेश पारित किया है । अनावेदकगण हितबद्ध पक्षकार नहीं है । अनावेदकगण द्वारा तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर अन्य लोगों के साथ–साथ उसका भी कब्जा था तथा यह भूमि आवेदक की न होकर किसी अन्य पवाई की भूमि थी।	

4/ जहॉ तक आवेदक के इस आपत्ति का प्रश्न है कि तहसील न्यायालय के दोनों प्रकरणों को बुलाने के उपरांत ही प्रकरण का निराकरण किया जाये। यह स्वयं अपर कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है। प्रकरण में वैसे भी वर्ष 1965 की समस्त कार्यवाही संदेहास्पद पाई गई है । जहां तक वर्ष 80 के प्रकरण का प्रश्न है वह मात्र वर्ष 1965 के आदेश की इत्तिलाबी दर्ज करने का प्रकरण है । अतः इन दोनों प्रकरणों के अभाव में कार्यवाही रोकना न्यायसंगत न पाते हुये आवेदक की यह आपत्ति अमान्य की जाती है । यदि 1965 में आवेदक के पक्ष में आदेश हुआ था तो वर्ष 1980 तक अभिलेखों में अपना नाम क्यों नहीं दर्ज कराया गया, इसका कोई संतोषप्रद प्रमाण न तो न्यायालय अपर कलेक्टर में और न ही आयुक्त रीवा में आवेदक के द्वारा पेश किया गया । क्योंकि वर्ष 1965 के आदेश की प्रामाणिकता प्रस्तुत करने में आवेदक असफल रहा है । शासकीय अभिलेखों में भी उसके नाम की प्रविष्टि नहीं रही है, ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत किये गये सभी तर्क आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का आदेश विधिनुकूल है। अतः आयुक्त रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.2003 स्थिर रखा जाता है । फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर, दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य